उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
तृतीय तल, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ – 226010

संख्या- 119 /06/कम्प्यूटर अनुभाग(बारह)/2023-26/16(4)/2016

लखनऊ : दिनांक : 27 जून, 2026

आवश्यक सूचना

आयोग के विज्ञापन संख्या-16(4)/2016 के अंतर्गत निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के नियंत्रणाधीन अनुदेशक ड्रेस मेकिंग के 04 पदों में से एन०टी०सी०/एन०ए०सी० अर्हता हेतु 02 पदों व डिप्लोमा/डिग्री अर्हता हेतु 02 पदों के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु कुल 32 अभ्यर्थी अर्ह / औपबंधिक रूप से अर्ह पाए गए हैं।

शार्टलिस्टिंग का आधार- नियमावली / विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य अर्हता व अधिमानी अर्हता एवं प्राप्तांक प्रतिशत के संबंध में निर्धारित व्यवस्था-

"अनिवार्य अर्हताः-

1. माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो,

2. (1) पचास प्रतिशत पद, सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थियों में से भरे जाएंगे।

(2) पचास प्रतिशत पद, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से ड्रेस मेकिंग/फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी/फैशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से फैशन टेक्नोलॉजी में उपाधि धारक अभ्यर्थियों में से भरे जाएंगे। अधिमानी अर्हता- संबंधित व्यवसाय में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन एक वर्षीय प्रमाण-पत्र और एन०आई०ई०एल०आई०टी० (पूर्ववर्ती डोयक सोसाइटी ऑफ इंडिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कॉन्सेप्ट्स (सी०सी०सी०) में प्रमाण-पत्र।

अनुभव- अनुदेशक के पद पर भर्ती के लिए, किसी अभ्यर्थी, जिसकी प्राविधिक अर्हता राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र है, के पास किसी उद्योग में काम करने का या किसी अध्यापक / प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 03 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। किसी उद्योग में काम करने या किसी अध्यापक / प्रशिक्षक के रूप में अनुभव की न्यूनतम अवधि डिप्लोमा धारकों के लिए 02 वर्ष की होगी और डिग्री (उपाधि) धारकों के लिए 01 वर्ष ही होगी।

अधिमानी अर्हताः- उपर्युक्त पद के लिए अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा, जिसने-

1- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या,

2- राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

नोट- विज्ञापन के प्रस्तर-9 के क्रम में उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक) सेवानियमावली, 2014 के भाग-5 में सीधी भर्ती प्रक्रिया नियम-16 (3) (क) के अधीन प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अभ्यर्थियों को अंक प्रदान कर श्रेष्ठता सूची तैयार की गई है।

मार्गदर्शक सिद्धान्त के अनुसार एन०टी०सी०/एन०ए०सी० अर्हता हेतु श्रेणीवार विज्ञापित 02 पदों के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु शार्टलिस्टेड / चिन्हित अभ्यर्थियों की कटऑफ का विवरण

लम्बवत आरक्षण

श्रेणी	साक्षात्कार हेतु चिन्हित अंतिम अर्ह/औपबंधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थी का प्राप्तांक प्रतिशत/कटऑफ
अनारक्षित	59.15
अन्य पिछड़ा वर्ग	57.96

नोट-क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत कोई पद आरक्षित नहीं है।

मार्गदर्शक सिद्धान्त के अनुसार डिप्लोमा / डिग्री अर्हता हेतु विज्ञापित 02 पदों के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु शार्टलिस्टेड / चिन्हित अभ्यर्थियों की कटऑफ का विवरण

लम्बवत आरक्षण

श्रेणी	साक्षात्कार हेतु चिन्हित अंतिम अर्ह/औपबंधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थी का प्राप्तांक प्रतिशत/कटऑफ
अनारक्षित	उपलब्ध समस्त अर्ह अभ्यर्थी
अन्य पिछड़ा वर्ग	उपलब्ध समस्त अर्ह अभ्यर्थी

नोट-क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत कोई पद आरक्षित नहीं है।

अवगत कराना है कि अनुदेशक ड्रेस मेकिंग के 04 पदों के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु आमंत्रित कुल 32 अभ्यर्थियों में से संलग्न सूची में चिन्हित 10 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से साक्षात्कार की सूची में सम्मिलित किया गया है। उपर्युक्त अभ्यर्थियों द्वारा वांछित अभिलेख /प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने अथवा तथ्य स्पष्ट किए जाने के उपरांत ही साक्षात्कार में प्रतिभाग करने की अनुमति सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त प्रदान की जाएगी।

साक्षात्कार की कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु अर्ह / औपबंधिक रूप से अर्ह उक्त 32 अभ्यर्थियों का प्रश्नगत पद हेतु साक्षात्कार दिनांक 15.07.2026 की प्रथम पाली में आयोग कार्यालय में आयोजित किया जाना निर्धारित है। साक्षात्कार के विस्तृत कार्यक्रम की सूचना पृथक से प्रकाशित की जाएगी।

उक्त विज्ञापन के अंतर्गत प्रश्नगत पद हेतु आवेदन करने वाले व विज्ञापन में प्रकाशित वांछित अनिवार्य अर्हता/अधिमानी अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि अनुदेशक ड्रेस मेकिंग के 04 पदों में से एन०टी०सी०/एन०ए०सी० अर्हता हेतु विज्ञापित 02 पदों के सापेक्ष अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने वाला यदि कोई आवेदक उक्त पद की अनिवार्य अर्हता धारित करता है तथा उसका प्राप्तांक प्रतिशत आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित प्राप्तांक प्रतिशत / कटऑफ के बराबर या अधिक है तथा उस अभ्यर्थी का नाम साक्षात्कार हेतु अर्ह / औपबंधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित नहीं है, तो उक्त अभ्यर्थी व डिप्लोमा/डिग्री अर्हता धारक हेतु विज्ञापित 02 पदों के सापेक्ष अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने वाला यदि कोई आवेदक उक्त पद की अनिवार्य अर्हता धारित करता है तथा उस अभ्यर्थी का नाम साक्षात्कार हेतु अर्ह/औपबंधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित नहीं है, तो उक्त अभ्यर्थी, दिनांक 05 जुलाई, 2026 की सायं 05:00 बजे तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन, पंचम तल पर स्थित केन्द्रीय प्राप्ति व प्रेषण अनुभाग में अपना प्रत्यावेदन विज्ञापन में प्रकाशित वांछित अनिवार्य

अर्हता/अधिमानी अर्हता व अनुभव संबंधी समस्त अभिलेखों की छायाप्रति सहित उपलब्ध करा सकता है। प्रत्यावेदन / अभिलेखों के परीक्षणोंपरांत अर्ह पाये जाने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार मा० आयोग के अनुमोदनोपरांत साक्षात्कार हेतु निर्धारित उक्त तिथि में ही आयोजित किया जायेगा। दिनांक 05 जुलाई, 2026 की सायं 05:00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

प्रश्नगत पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि विज्ञापन के प्रस्तर-6 में प्रकाशित विवरण के अनुसार संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम आवेदन की पंजीकरण संख्या के सापेक्ष ही प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्र/शैक्षिक अभिलेख पर विचार किया जाएगा।

संलग्नक-यथोक्त।

(हरिकेश चौरसिया)
सचिव।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
विज्ञापन संख्या–16(4)/2016
अनुदेशक ड्रेस मेकिंग
निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन अनुदेशक ड्रेस मेकिंग पद के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु चिन्हित अर्ह/औपबंधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची

पंजीकरण संख्या

52900044842	52900503017	52900757681	52900886585
52900112949	PROVISIONAL	PROVISIONAL	PROVISIONAL
52900143888	52900585084	52900768252	52900914994
52900161963	52900587392	52900772981	52900931389
52900225021	52900708542	52900801131	52900940698
PROVISIONAL	PROVISIONAL	52900801389	52900951153
52900313292	52900724619	PROVISIONAL	52900990426
52900386899	52900736606	52900818645	52901020256
52900458203	PROVISIONAL	52900849919	PROVISIONAL
52900462978	52900750749	PROVISIONAL	52901021875
PROVISIONAL			52901062988

कुल–32